

**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी पामगढ़,
जिला-जांजगीर चांपा(छ.ग.)**

// लोक सूचना //

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-21 के अन्तर्गत)

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-03/अ-82/2020-21 ग्राम खोरसी, प.ह.नं.-28, रा.नि.मंडल खरौद, तहसील पामगढ़ में 01 खातेदार के निजी भूमि 0.30 एकड़/0.121 हेक्टे.) शिवरीनारायण बरौज निर्माण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण हेतु लोकहित में अधिग्रहण किया जा रहा है जिसका विवरण नीचे दर्शित है के स्वत्व माप एवं प्रतिकर के संबंध में तथा ऐसे भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास व प्रतिस्थापन के दावे में हितबद्ध व्यक्ति, पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा दिनांक 6/7/2022 को प्रातः 11.00 बजे इस कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी पामगढ़ में उपस्थित होकर लिखित में और हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत कर सकता है:-

क्र0	भूमिस्वामी का नाम मय वल्लिदयत	ख0नं0	अर्जित हेतु प्रस्तावित रकबा	
			एकड़	हेक्टेयर
1	2	3	4	5
1.	श्री दीपक दुबे पिता शिवकुमार दुबे साकिन देह भूमिस्वामी	1375/2	0.30	0.121

जारी दिनांक 31/5/2022

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

**भू-अर्जन अधिकारी
पामगढ़**

जांजगीर दिनांक 31/5/22

पृ.क्रमांक 484 / भू-अर्जन / 2022
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय रायपुर की ओर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु अग्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) की ओर कार्यालय कलेक्टर के सूचना पटल में अधिसूचना का प्रकाशन हेतु।
3. तहसीलदार पामगढ़ की ओर तहसील कार्यालय पामगढ़ में अधिसूचना का प्रकाशन हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जांजगीर चांपा (छ.ग.) की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
5. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत खोरसी, जनपद पंचायत पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) को ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा एवं मुनादी कर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

**भू-अर्जन अधिकारी
पामगढ़**